मध्यप्रदेश विधान सभा

जुलाई-अगस्त, 2002 सत्र

दैनिक कार्य सूची

गुरुवार, दिनांक 18 जुलाई, 2002 (आषाढ़ 27, 1924)

समय 10.30 बजे दिन

1. प्रश्नोत्तर

पृथकतः वितरित सूची में सम्मिलित प्रश्न पूछे जायेंगे तथा उनके उत्तर दिये जायेंगे.

2. पत्रों का पटल पर रखा जाना

श्री घनश्याम पाटीदार, राज्य मंत्री, विधि और विधायी कार्य, कुटुम्ब न्यायालय अधिनियम, 1984 (क्रमांक 66 सन् 1984) की धारा 23 की उपधारा (3) की अपेक्षानुसार विधि और विधायी कार्य विभाग की अधिसूचना क्रमांक फा.4-1-02-इक्कीस-(ब) एक, दिनांक 20 जून, 2002 पटल पर रखेंगे.

3. नियम 138 (1) के अधीन ध्यान आकर्षण

(1) डॉ. सीतासरन शर्मा, श्री नरेन्द्र सिंह तोमर, श्री प्रभाकर सिंह, सदस्य बालाघाट जिले के ग्राम समनापुर में नक्सलवादियों द्वारा दो व्यक्तियों की हत्या किये जाने की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(2) सर्वश्री पी. सी. शर्मा, कमल पटेल, बाबूलाल गौर, सदस्य, बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल द्वारा छात्रों को अंकसूची उपलब्ध न कराये जाने से उत्पन्न स्थिति की ओर उच्च शिक्षा मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

4. याचिकाओं की प्रस्तुति

(1) श्री बृजेन्द्र सिंह राठौर, सदस्य, टीकमगढ़ जिले के -
(क) पृथ्वीपुर-जेरोन मार्ग की 20 पुलियों का निर्माण कराये जाने, तथा
(ख) ग्राम धर्मपुरा में प्राथमिक पाठशाला खोले जाने,

(2) श्री धूलसिंह यादव, वकील, सदस्य, राजगढ़ जिले के -
(क) ताजीपुरा मदरसा से कुरावर तक नाबार्ड से सड़क निर्माण कराये जाने,
(ख) ग्राम निपन्यागढ़ी तथा खोरखेड़ी के मध्य नाले पर सिंचाई तालाब का निर्माण कराये जाने,
(ग) पचोर-शुजालपुर मार्ग की उगल नदी पर पुल निर्माण कराये जाने, तथा
(घ) पचोर-शुजालपुर मार्ग की उतावली नदी पर पुल निर्माण कराये जाने,

(3) श्री जयसिंह मरावी, सदस्य, शहडोल जिले के ग्राम पंचायत गलहथा में विद्युतीकरण कराये जाने,

के संबंध में याचिकाएं प्रस्तुत करेंगे.

5. लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री का वक्तव्य

श्री सुभाष कुमार सोजतिया, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री, दिनांक 9 अप्रैल, 2002 को पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या 72 (क्रमांक 6440) के उत्तर में संशोधन करने के संबंध में वक्तव्य देंगे.

6. शासकीय विधि विषयक कार्य

निर्धारित समय 30 मि. (1) श्री हरवंश सिंह, वन मंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि मध्यप्रदेश वन उपज (व्यापार-विनियमन) संशोधन विधेयक, 2002 (क्रमांक 13 सन् 2002) पर विचार किया जाय.

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक खण्डशः पर विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाय.

30 मि. (2) श्री हरवंश सिंह, परिवहन मंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि मध्यप्रदेश मोटरयान कराधान (संशोधन) विधेयक, 2002 (क्रमांक 14 सन् 2002) पर विचार किया जाय.

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक खण्डशः पर विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाय.

7. नियम 139 के अधीन अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर चर्चा

1 घन्टा 30 मि. प्रदेश में अघोषित विद्युत कटौती से उत्पन्न स्थिति के संबंध में श्री कमल पटेल, डॉ. सीतासरन शर्मा, सर्वश्री अजय विश्नोई, नरेन्द्र सिंह तोमर, नरेन्द्र बिरथरे, नरोत्तम मिश्रा, लक्ष्मीकांत शर्मा, कैलाश विजयवर्गीय, लाल सिंह, लक्ष्मणसिंह गौड़, हरीशंकर जायसवाल (हरि भैया), सदस्यगण चर्चा उठायेंगे.

भोपाल :
दिनांक : 17 जुलाई, 2002

डॉ.ए.के.पयासी
सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.